श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.12 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न इंदिरा आवास कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति –

1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर
4. मो0 सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
5. अजय कुमार तिवारी, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. राजेश कुमार गुप्ता, व0उ0समा0, मुंगेर।
7. राजेश कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
8. मुकेश कुमार अग्रवाल, व0उ0समा0, मुंगेर।
9. डॉ0 आजाद भाहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
10. अमिताभ कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
11. आशीश नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर।
12. परमानन्द साह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खड़गपुर।
13. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा (सदर को छोड़कर)।

सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रखंडवार इंदिरा आवास लाभार्थियों का प्रत्यर्पण के पश्चात् लक्ष्य, भूमिहीन एवं बाहर गये बी0पी0एल0 लाभुकों की समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश दिये गये :-

1. सदर :-

पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को समाहित करते हुए सदर प्रखंड के लिए इंदिरा आवास की सभी श्रेणी में 607 का लक्ष्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर द्वारा निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 108 एस0सी0/एस0टी0 तथा 52 अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभुकों को प्रत्यर्पण प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया है। शेष बचे 447 लाभार्थियों के विरूद्ध 351 लाभार्थियों का ही बैंक खाता खुलवाया गया है एवं सभी का पासबुक प्रखंड विकास पदाधिकारी को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

2. जमालपुर :-

इसी प्रकार जमालपुर प्रखंड को पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को समाहित करते हुए इंदिरा आवास की सभी श्रेणी में 499 लाभुकों में 151 SC/ST लाभार्थियों का प्रत्यर्पण किया गया है तथा 275 लाभुकों का खाता खोला गया है एवं शेष लाभुकों के वोटर कार्ड इत्यादि प्रमाण नहीं रहने के कारण खाता नहीं खोला जा सका है।

3. बरियारपुर :-

समर्पित प्रतिवेदनानुसार पूर्व वर्ष सहित लंबित लक्ष्य 517 के विरूद्ध 227 SC/ST लाभुकों को प्रत्यर्पित किया गया है तथा स्थायी प्रतीक्षा सूची में कोटिवार लक्ष्य के अनुसार चयनित 290 लाभुकों के विरूद्ध 213 लाभुकों का ही खाता खोला गया है।

4. धरहरा :-

समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल लक्षित 684 के विरूद्ध 171 SC/ST लाभुकों का प्रत्यर्पण किया गया है तथा इसके बाद कोई लाभुक शेष नहीं बचेगा।

5. खड़गपुर :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12 के लक्ष्य व समाहित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 1092 लक्ष्य के विरूद्ध 387 SC/ST लाभुकों का प्रत्यर्पण किया गया है तथा स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार चयनित 710 लाभार्थियों में से 551 लाभुकों का खाता खोला गया है।

6. टेटियाबंबर :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिये गये 300 लक्ष्य के विरूद्ध 59 SC/ST लाभुको को प्रत्यर्पित किया गया है तथा 211 लाभुकों का खाता खोला गया है।

7. तारापुर :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को समाहित करते हुए दिये गये 520 लक्ष्य के विरूद्ध 196 SC/ST लाभुको का प्रत्यर्पण किया गया है तथा 213 लाभुकों का खाता खोला गया है।

8. असरगंज :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को समाहित करते हुए दिये गये 372 लक्ष्य के विरूद्ध 149 SC/ST लाभुको का प्रत्यर्पण किया गया है तथा 95 लाभुकों का खाता खोला गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कार्य में शिथिलता बरती जा रही है जो खेदजनक है।

9. संग्रामपुर :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को समाहित करते हुए दिये गये 511 लक्ष्य के विरूद्ध चयनित 486 लाभुकों में मात्र 60 लाभुकों का खाता खोला गया है। उनके द्वारा बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संग्रामपुर, यूको बैंक, संग्रामपुर, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संग्रामपुर, नवगॉव द्वारा खाता खोलने में रूचि नहीं लेने के कारण कार्य की प्रगति काफी धीमी है। इस निमित्त उप विकास आयुक्त, मुंगेर, निदेशक, डी0आर0डी0ए0 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के त्रि-स्तरीय टीम का गठन करते हुए निदेश दिया गया कि दिनांक 05.07.12 को प्रखंड कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन कर खाता खुलवाना सुनिश्चित करें एवं जिन बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा इस कार्य में रूचि नहीं ली जाती है तो उनके विरुद्ध प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करे।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत समर्पित प्रतिवेदनों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर प्रगति प्रतिशतता शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

- उप विकास आयुक्त, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बैंक शाखा प्रबंधक, जिन्होंने अभी तक पासबुक खुलवाने के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया है एवं शेष लाभुकों जिनका पासबुक नहीं खोला गया है, के निमित्त संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर प्रखंडवार दिनांक 06.07.12 को प्रखंड कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन कर शत-प्रतिशत खाता खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में संबंधित प्रखंडों के नामित वरीय उप समाहर्त्ता की भी यह जिम्मेदारी निहित की जाती है कि जिन पंचायतों में अब तक

खाता नहीं खोला जा सका है वैसे पंचायतों को चिन्हित कर विशेष शिविर का आयोजन कर खाता खुलवाने का कार्य करेंगे।

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर 05 दिनों के अन्दर यह प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, मुंगेर को समर्पित करें कि पंचायतवार कितने SC/ST लाभार्थी जांचोंपरान्त बच रहे हैं जिन्हें इंदिरा आवास दिया जा सकता है। तत्पश्चात् उप विकास आयुक्त, मुंगेर शेष के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रस्ताव लेकर जिला परिषद में बैठक कर समुचित कार्रवाई करें।
- तारापुर, असरगंज एवं जमालपुर ऐसे प्रखंड हैं जिन्होंने अंतिम वर्ष में भी लक्ष्य प्रत्यर्पित किया था एवं इस वर्ष भी लक्ष्य का प्रत्यर्पण किया हैं। इस निमित्त उप विकास आयुक्त उक्त तीनों प्रखंडों से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर विचारोपरान्त समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि मात्र संग्रामपुर प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों में SC/ST लाभुकों का प्रत्यर्पण किया गया है एवं सूचित किया गया है कि कोई भी लाभार्थी 0-13 अंक तक बी0पी0एल0 की सूची में बचे हुए नहीं हैं जो इंदिरा आवास प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 07.07.2012 को इंदिरा आवास विशेष शिविर सम्पन्न होने के उपरान्त दिनांक 10.07.2012 तक निम्नलिखित प्रतिवेदनों के साथ सूची निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय :-

- किन लाभुकों का चयन हुआ है?
- किसको इंदिरा आवास दिया गया हैं?
- पंचायतवार भूमिहीन एवं बाहर रहने वाले लाभार्थियों की सूची जिन्हें इंदिरा आवास नहीं दिया गया है।
- किस कारण से अंतिम दिन पासबुक वितरित नहीं किया गया है।
- लाभार्थियों की सूची जिन्हें पासबुक वितरित किया गया है।

- उपरोक्त कागजातों के सत्यता की जांच हेतु प्रखंडों के नामित वरीय उप समाहर्त्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी भी प्रतिवेदन में कमी पायी जाती है तो लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इंदिरा आवास वितरण की सारी व्यवस्था ससमय पूरी कर ली जाय।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- 07/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक........1417........../डी0आर0डी0ए0,दिनांक...9/7/2012.........

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक........1417........../डी0आर0डी0ए0,दिनांक...9/7/2012.........

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

09/07/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।